Centre for Science and Environment

MAIN OFFICE: 41, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi-110 062 INDIA
Tel: +91 (011) 4061 6000, 2995 5124, 2995 6110 **Fax:** +91 (011) 2995 5879 **Email:** cse@cseindia.org **Website:** www.cseindia.org
BRANCH OFFICE: Core 6A, Fourth Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110 003
Tel: +91 (011) 2464 5334, 2464 5335

CSE

LEAVES OF IMPORTANT SURVIVAL TREES IN INDIA — MAHUA, KHEJDI, ALDER, PALMYRA AND OAK

सैंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली
प्रेस विज्ञप्ति: राजस्थान में डीएमएफ
यह प्रेस विज्ञप्ति www.cseindia.org पर हिंदी में भी उपलब्ध है

विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र के नवीनतम विश्लेषण में कहा गया है, राजस्थान ने अपने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) का केवल 12 प्रतिशत ही उपयोग किया।

सीएसई ने डीएमएफ योजना का महत्वपूर्ण 2018 मूल्यांकन जारी किया।
राजस्थान उन शीर्ष पांच खनन राज्यों में से एक है जिनका गहन मूल्यांकन किया गया।

- रिपोर्ट में 12 खनन राज्यों का विश्लेषण किया गया है। राजस्थान सहित पांच प्रमुख खनन राज्यों का गहन मूल्यांकन किया गया है।
- पांच जिलों का सर्वेक्षण किया गया है। भीलवाड़ा का गहन विश्लेषण किया गया है।
- राजस्थान, संग्रहण के मामले में शीर्ष छह राज्यों में से एक हैय अप्रैल 2018 तक 1,782 करोड़ रुपये का कुल संचयी संग्रहण किया है। कुल डीएमएफ संग्रहण का लगभग 34 प्रतिशत भीलवाड़ा, एक गौण खनिज जिले से है।
- डीएमएफ के तहत परियोजनाओं के लिए लगभग 1,062 करोड़ रुपये मंजूर किए गए; भौतिक अवसंरचना के लिए 33.5 प्रतिशत, शिक्षा के लिए लगभग 32 प्रतिशत का सबसे बड़ा निवेश। उपयोगः केवल 12 प्रतिशत
- कोई उचित नियोजन नहीं; ग्राम सभाओं के साथ कोई परामर्श नहींय जिला डीएमएफ निकायों में सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों का वर्चस्व है। राज्य ने स्थानीय विधायकों के अतिरिक्तए जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सांसदों को डीएमएफ में ट्रस्टी के तौर पर शामिल करने के लिए जून, 2018 में अपनी नियमावली में संशोधन किया है।
- राज्य नियमों में डीएमएफ निवेशों में सिलिकोसिस के रोगियों को शामिल करना अधिदेशित है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक उपाय है कि आवश्यक देखभाल प्रदान की जा सकती है।
- भीलनवाडा में भौतिक अवसंरचना के लिए सर्वाधिक आवंटन किया गया है, जिसके बाद शिक्षा पर सर्वाधिक निवेश किया गया है।
- महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा की गई है।

ubl fnYyh] **31** t|ykbl **2018:** जब डीएमएफ निधियों की बात आती है, तो ऐसा लगता है कि राजस्थान ने भी, अन्य खनन राज्यों की भांति, अपनी प्राथमिकताएं गलत निर्धारित की हैं। अव संरचनाओं के निर्माण को सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया है। स्वास्थ्य के लिए 2.8 करोड़ का आवंटन इतना अधिक कम है कि इससे जिले में स्वास्थ्य सेवा तक अपर्याप्त पहुंच के मुद्दे में वास्तव में कोई अंतर आए। भीलवाड़ा में जिले के लगभग 75% गांव में कुल 5 किलोमीटर के निर्धारित दायरे के भीतर एक प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इसके अलावाए इस जिले में अत्यधिक खनन गतिविधियां होने से अस्थमा जैसा चिरकालिक श्वसन रोग काफी अधिक व्याप्त है– यह आज यहां विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र(सीएसई) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट का एक निष्कर्ष है।

turk ÁFke: fMfLV™DVfeujy QkmM'ku (Mh,e,Q) fLFkfr fjikV] **2018:** जैसा की रिपोर्ट किया गया है, यह चौथे वर्ष में प्रवेश के समय डीएमएफ का आकलन है। इस रिपोर्ट में देश भर में 12 राज्यों को कवर

Founder Director
ANIL AGARWAL

EXECUTIVE BOARD

Chairperson
M.S. SWAMINATHAN

Director General
SUNITA NARAIN

Deputy Director General
CHANDRA BHUSHAN

Members
A.K. SHIVA KUMAR
BHARATI CHATURVEDI
G.N. GUPTA
JAGDEEP GUPTA
MAHESH KRISHNAMURTHY
N.C. SAXENA
N.J. Rao
RAJ M.S. LIBERHAN
WILLIAM BISSELL

किया गया है राजस्थान सहित शीर्ष पांच राज्यों में जिलों में निवेश का गहन अध्ययन किया गया है। यह रिपोर्ट, राज्य और केंद्र सरकारों, खनन से प्रभावित जिलों के जिला प्रशासकों के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया की मौजूदगी में जारी की गई थी।

सीएसई की महानिदेशक, सुनीता नारायण ने रिपोर्ट जारी करते समय कहा, "डीएमएफ, प्राकृतिक संसाधनों के प्रशासन का जन केंद्रिक विजन हैए जिसमें लाभ के उनके अधिकार को सर्वप्रमुख रखा गया है। यदि इसे भली. भांति विकसित एवं कार्यान्वित किया जाता हैए तो डीएमएफ में मृत्यु के बाद कुछ सबसे गरीब समुदायों के जीवन और आजीविका में सुधार लाने की भारी क्षमता है बल्कि ये समावेशी प्रशासन का मॉडल भी हो सकते हैं।"

डीएमएफ, खान और खनिज (विकास और विनियम) संशोधन अधिनियम, 2015 के अंतर्गत देश के प्रत्येक खनन जिले में, गैर.लाभकारी न्यास के रूप में गठित किए गए हैं। इनका एक संक्षिप्त और विधिक तौर पर स्पष्ट उद्देश्य, जनता और खनन संबंधी कार्यकलापों से प्रभावित क्षेत्रों के हित एवं लाभ के लिए कार्य करना है।

राजस्थान में अप्रैल 2018 तक डीएमएफ संग्रहण 1,782 करोड़ रुपये है। डीएमएफ संग्रह के मामले में राज्य के शीर्ष जिलों में भीलवाड़ा (290 करोड़ रुपये), राजसामंद (250 करोड़ रुपये), चित्तौड़गढ़ (140 करोड़ रुपये) और उदयपुर (95 करोड़ रुपये) आते हैं।

सीएसई के उप–महानिदेशक, चन्द्र भूषण कहते हैंए "डीएमएफ, भारत के खनन जिलों में अत्यधिक गरीबी और अभाव में जीवन यापन कर रहे करोडों लोगों के साथ दशकों से हो रहे अन्याय को बदलने का एक निर्णायक अवसर है। लेकिन डीएमएफ से ऐसा केवल तभी हो सकता है यदि इसे खान और खनिज (विकास और विनियम) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत बनाई डीएमएफ नियमावली के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। हमारा आकलन दर्शाता है कि अभी तक राजस्थान, डीएमएफ को सही तरह से कार्यान्वित करने में विफल रहा है।"

जनता को नियोजन और निर्णय लेने से दूर रखा गया

डीएमएफ निकाय में जिला अधिकारियों और खनन क्षेत्रों से राजनीतिक प्रतिनिधियों का वर्चस्व है। खनन प्रभावित क्षेत्रों और खनन कारीगरों से समुदायों का कुछ प्रतिनिधित्व है लेकिन यह कुल सदस्यों का बहुत छोटा हिस्सा है और इनमें से अधिकांश का चयन जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है।

किसी भी जिले में खनन प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित निवेश सुनिश्चित करने के लिए व्यापक डीएमएफ योजना नहीं बनाई है। कार्य मंजूरियां तदर्थ है। किसी भी जिले ने लाभार्थियों की पहचान नहीं की है और निर्णय लेने की प्रक्रिया से ग्राम सभाओं को भी बाहर रखा है।

भूषण ने कहा, "राजस्थान में डीएमएफ के कार्यान्वयन में ग्राम सभा की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। उदाहरण के लिए, अभी तक डीएमएफ के लाभार्थियों की पहचान नहीं की गई है। लाभार्थियों की पहचान करने में ग्राम सभा की भूमिका स्पष्ट होती है। इससे कुछ सबसे बुरी तरह प्रभावित लोग– जिन्हें खनन कार्यकलापों की वजह से विस्थापित किया गया है और जिन लोगों को खनन भूमि पर परंपरागत अधिकार है. डीएमएफ के लाभों से छूट गए हैं।"

कोई समर्पित कार्यालय नहींए सूचना की कम उपलब्धता

सीएससी के आकलनों से पता चला है कि किसी भी जिले ने डीएमएफ निधियों के लिए निवेश के नियोजन हेतु एक समर्पित डीएमएफ कार्यालय स्थापित नहीं किया है। श्रेष्ठा बनर्जीए कार्यक्रम प्रबंधक, पर्यावरण प्रशासन इकाई, सीएससी का कहना है, "यह सुनिश्चित करने के लिए की डीएमएफ के लाभ, वांछित लाभार्थियों तक पहुंचे एक पूर्णकालिक डीएमएफ कार्यालय का होना अनिवार्य है, जिसमें ऐसे नियोजन विशेषज्ञ हो, जो अंतराल विश्लेषण कर सकें, ग्राम सभा के साथ विचार. विमर्श कर सकें और जिले के संसाधनों के आधार पर डीएमएफ निवेशों की योजना बना सकें।

यद्यपि, राजस्थान ने हाल ही में डीएमएफ के लिए ऑनलाईन पोर्टल स्थापित किया है, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध सूचना काफी कम है। अभी तक खनन–प्रभावित क्षेत्रों, लाभार्थियों, डीएमएफ संबंधी अधिसूचनाओं, कार्य मंजूरियों और प्रगति,बैठकों के कार्यवृत, वार्षिक रिपोर्ट आदि संबंधी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। राज्य नियमावली और केंद्र की प्रमुख योजना. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) डीएमएफ के अनुरूप, के लिए डीएमएफ संबंधी सभी विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

निवेशों का प्रमुख फोकस निर्माण पर हैए सॉफ्ट संसाधनों के विकास पर कोई फोकस नहीं

डीएमएफ के तहत परियोजनाओं के लिए अभी तक कुल मिलाकर 1,062 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इस मंजूरी का 33 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भौतिक अवसंरचना और लगभग 32 प्रतिशत शिक्षा के लिए है।

विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का प्रमुख फोकस, निर्माण पर है। भीलवाड़ा में, स्वीकृत 226 करोड़ रूपए में से लगभग 50 फीसदी भौतिक अवसंरचना के लिए है। यह राज्य नियमावली के साथ ही पीएमकेकेकेवाई का उल्लंघन है जिसमें कहा गया है कि कुल निवेश का 40 प्रतिशत से अनधिक, "अन्य प्राथमिका क्षेत्रों" के लिए होना चाहिए जिनमें भौतिक अवसंरचना शामिल है।

शिक्षा आवंटन, मुख्य रुप से विद्यालय में फर्नीचर के प्रावधान के लिए किया गया है। श्रेष्ठा जी का कहना हैए "निवेश दर्शाता है कि कोई नियोजन नहीं किया गया है, निधि का उपयोग, उस क्षेत्र की अन्य आवश्यकताओं का आकलन किए बिना ब्लैंकेट निवेशों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा, "इसके अलावा, बेहतर अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शिक्षण कर्मचारियों जैसे सॉफ्ट संसाधन विकसित करने पर कोई फोकस नहीं किया गया है"।

छूटे हुए महत्वपूर्ण मुद्दे

यद्यपि, राज्य डीएमएफ नियमावली में डीएमएफ के लाभार्थियों के तौर पर सिलिकोसिस के रोगियों को शामिल करने के लिए कहा गया है, इस दिशा में अभी तक कोई निवेश प्रतिबिंबित नहीं है।

सीएसई की रिपोर्ट में बताया गया है, डीएमएफ के कार्यक्षेत्र से छॅट चुके कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में प्रतिभागिता, नियोजन और अंतराल – विश्लेषण दिखाई देते हैं। पांच वर्ष से कम आयु वर्ग की ग्रामीण मृत्यु दर (यू5एमआर) 85 और इसी आयु समूह में लगभग 45 प्रतिशत बच्चों का कम भार वाले जिले के लिए पोषण संबंधी संकेतकों में सुधार करने के लिए महिला एवं बाल विकास हेतु कोई निधि स्वीकृत नहीं की गई है।

सीएसई की सिफारिशें

- सभी जिलों को डीएमएफ लाभार्थियों की पहचान करनी चाहिए; ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं हो सकता जिसका कोई लाभार्थी न हो। इससे महिला एवं बाल विकास संबंधी मुद्दों का समाधान करने और सिलिकोसिस रोगियों तक पहुंचने के लिए लक्षित निवेश में भी मदद मिलेगी।
- ग्राम सभाओं (और वार्ड के सदस्योंए जहां लागू हो) का डीएमएफ निकाय में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पालन नहीं किया, यह डीएमएफ कानून के मूल भाव का उल्लंघन है।
- कार्यकलापों की कुशलता के लिए, सभी डीएमएफ के पास कार्यालय होना चाहिए जिसमें अधिकारी और विशेषज्ञ हो। प्रभावी नियोजन के लिए समय–समय पर स्वतंत्र संगठनों/नियोजन विशेषज्ञ को भी शामिल किया जा सकता है।
- स्थानीय आवश्यकता.आधारित नियोजन सुनिश्चित करने के लिए डीएमएफ ट्रस्टियों की वांछित स्वायत्ता बनाए रखी जानी चाहिए, राज्य सरकारों को ट्रस्ट का उपयुक्त नियोजन, निवेश और संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा.निर्देश उपलब्ध कराना चाहिए।
- निवेश को प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्थित और बॉटम.अप एप्रोच अपनाई जानी चाहिए। डीएमएफ को उच्च प्राथमिकता वाले मुद्दों पर ही फोकस करना चाहिए किंतु सीधे प्रभावित क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता भी देनी चाहिए। उपयुक्त बॉटम–अप नियोजन से राज्य द्वारा विचारित सम्मिलन एप्रोच की क्षमता अधिकतम करने में भी मदद मिलेगी।

- डीएमएफ के कार्यों की पारदर्शिता की कुंजी, सूचना का जनता के सामने प्रकटीकरण है। वेबसाईट के जरिए जिला–विशिष्ट डीएमएफ संबंधी सूचना अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, सूचना को पंचायत स्तरीय मंचों के उपयोग से साझा किया जाना चाहिए।

भूषण जी ने संक्षेप में कहा, "चूंकि हम डीएमएफ के कार्यान्वयन के चतुर्थ वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, यह समय नियोजन और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों का समाधान करने का है। बॉटम–अप नियोजन और उपयुक्त संस्थागत संरचना के बिना, डीएमएफ इसे पूरा नहीं कर पाएगा। हमें डीएमएफ को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के लिए नियोजन और निगरानी में लाभार्थियों को शामिल करना आवश्यक है। आगामी वर्ष के लिए इसे अपना एजेंडा बनाते हैं।

आईए, इसे आगामी वर्ष के लिए अपना एजेंडा बनाएं।

- **साक्षात्कार और किसी अन्य सहायता के लिए, कृपया सीएसई मीडिया संसाधन केंद्र के पारुल तिवारी से संपर्क करें - parul@cseindia-org / 9891838367**

- **कृपया डीएमएफ पर हमारी सभी रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति आदि के लिए www-cseindia-org पर जाएं।**